सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 762 राँची, सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

19 जून, 2019

विषय:- खरीफ विपणन मौसम में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति की योजना से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 3846, दिनांक 27.09.2016 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

संख्या:- खा.प्र. 02 अधि. केन्द्र 01/2015 – 2670-- राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभागीय संकल्प संख्या 3846, दिनांक 27.09.2016 एवं संकल्प संख्या 4458, दिनांक 02.11.2016 निर्गत किया गया था। निर्गत संकल्प में उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल (रामगढ़ जिला को छोड़कर) एवं संथाल परगना प्रमण्डल में धान अधिप्राप्ति हेतु National Federation of Farmers's Procurement, Processing & Retailing Cooperatives of India, Ltd. (NACOF) को नामित किया गया था। नाकोफ द्वारा अपने साख के आधार पर धान अधिप्राप्ति की जानी है। विभिन्न जिलों से किसानों को भुगतान में विलम्ब की सूचना प्राप्त हो रही है किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए विभागीय संकल्प संख्या 3846, दिनांक 27.09.2016 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

2. कंडिका-4 में अंकित ''राज्य सरकार को राशि की व्यवस्था नहीं करनी होगी। नाकोफ द्वारा अपने साख के आधार पर धान क्रय किया जायेगा'' के अतिरिक्त निम्न प्रावधान किया जाता है,

धान बिक्री किये गये जिन किसानों का भुगतान नाकोफ द्वारा नहीं किया गया है उनका भुगतान धान अधिप्राप्ति हेतु प्राधिकृत नोडल एजेन्सी झारखण्ड, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए उपलब्ध रिवॉल्विंग फण्ड से किया जायेगा। किसानों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति झारखण्ड, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सी॰एम॰आर॰ की राशि से कर ली जायेगी''। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सी॰एम॰आर॰ राशि का भुगतान पहले झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को की जायेगी। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति हो जाने के उपरान्त ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा शेष राशि का भुगतान नाकोफ को किया जायेगा। वर्तमान में जो धान लैम्पस/पैक्स के पास भण्डारित है, उसका ससमय उठाव तथा चावल मिल से सी॰एम॰आर॰ को ससमय भारतीय खाद्य निगम के गोदाम तक पहुँचाने में उपायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएँगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि जितनी मात्रा में धान की अधिप्राप्ति की गई है उसके समतुल्य सी॰एम॰आर॰ ससमय भारतीय खाद्य निगम के गोदाम तक पहुँचा दिया जाय।

3. National Federation of Farmers's Procurement, Processing & Retailing Cooperatives of India, Ltd. (NACOF) को काली सूची में दर्ज करने के साथ ही उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. विभागीय संकल्प संख्या 3846, दिनांक 27.09.2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

5. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 13.06.2017 की बैठक की मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

ह०/-

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 762 -- 100